

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

संकल्प

विषय— अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, एवं नियम-1995 के कार्यान्वयन हेतु राज्यस्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का पुनर्गठन।

राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम-1995 के नियम-16 के अनुसार राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार से करने का निर्णय लिया है। इस समिति का कार्यकाल इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष या समिति के पुनर्गठन तक के लिये होगा :-

1.	माननीय मुख्य मंत्री	अध्यक्ष
2.	गृह मंत्री	सदस्य
3.	वित्त मंत्री	सदस्य
4.	मंत्री, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग	सदस्य
5.	श्री रामसुन्दर दास, माननीय सांसद	सदस्य
6.	श्री भूदेव चौधरी, माननीय सांसद	सदस्य
7.	श्री हरि मांझी, माननीय सांसद	सदस्य
8.	श्री महेश्वर हजारी, माननीय सांसद	सदस्य
9.	श्री मती भागीरथी देवी, माननीय सदस्या बिहार विधान सभा	सदस्य
10.	श्री दिनकर राम, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा	सदस्य
11.	श्री रामलखन राम रमण, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा	सदस्य
12.	श्री कृष्णनन्दन पासवान, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा	सदस्य
13.	श्री मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा	सदस्य
14.	श्री सोनेलाल हेम्ब्रम, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा	सदस्य
15.	श्री कन्हैया कुमार, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा	सदस्य
16.	श्री रत्नेश सदा, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा	सदस्य
17.	श्री रामचन्द्र सदा, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा	सदस्य
18.	श्री श्याम बिहारी राम, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा	सदस्य
19.	श्री संतोष कुमार निराला, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा	सदस्य
20.	श्री मती अमला देवी माननीय सदस्य बिहार विधान सभा	सदस्य
21.	मुख्य सचिव	सदस्य
22.	प्रधान सचिव गृह विभाग	सदस्य
23.	पुलिस महानिदेशक	सदस्य
24.	निदेशक / उपनिदेशक राष्ट्रीय अनु० जाति / जनजाति आयोग	सदस्य
25.	प्रधान सचिव / सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग	संयोजक


2- इस समिति का मुख्यालय पटना होगा तथा समिति की बैठक एक वर्ष में कम-से-कम दो बार होगी। समिति की बैठक में अधिनियम के उपबन्ध के कार्यान्वयन, पीडित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुर्नवास सुविधा तथा उससे सम्बद्ध अन्य मामले, तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को प्रभावकारी ढंग से लागू करने पर विचार-विमर्श किया जायेगा एवं समिति आवश्यकतानुसार सुझाव देगी।

3- इस सम्बंध में पूर्व समिति पुनर्गठन सम्बंधी निर्गत संकल्प अवक्रमित समझे जायेंगे।


4- समिति के जो सदस्य विधान मंडल के सदस्य भी हैं, को यात्रा भत्ता उसी समय देय होगा जब विधान सभा/परिषद का सत्र चालू नहीं हो। इसके अन्तर्गत यात्रा भत्ता का व्यय भार सरकार द्वारा निर्धारित यथोचित शीर्ष से विकलनीय होगा।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति समिति के सभी सदस्यों, महालेखाकार एवं विभाग को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


  
सरकार के सचिव 21/3/11

ज्ञापांक-सं० 1 / पी०सी०आर०(विविध)०९-३२ / २०१०- 706 दिनांक- 23-3-11  
प्रतिलिपि- हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को  
इसे बिहार राज्य के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 200  
प्रतियाँ मुद्रित कराकर इस विभाग को भेजी जाय।

  
सरकार के सचिव 21/3/11


ज्ञापांक- सं०-1 / पी०सी०आर०(विविध)०९-३२ / २०१०- 706 दिनांक- 23-3-11  
प्रतिलिपि- दत्त विभाग, लेखा शाखा, बिहार, पटना/महालेखाकार बिहार, पटना को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
सरकार के सचिव 21/3/11


ज्ञापांक-सं०-१ / पी०सी०आर०(विविध)०९-३२ / २०१०- ७०६ दिनांक- २३-३-११

प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/गृह मंत्री के आप्त सचिव/मंत्री कल्याण के आप्त सचिव/समिति के सभी सदस्यों/विधि विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के सचिव गृह (आरक्षी) विभाग/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के सचिव/सचिव, कल्याण के सचिव/निदेशक, समाज कल्याण/निदेशक, कल्याण, निदेशक, आई०सी०डी०एस०/ सभी विभाग के आयुक्त एवं सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव २३/३/११


ज्ञापांक- सं०-१ / पी०सी०आर०(विविध)०९-३२ / २०१०- ७०६ दिनांक- २३-३-११

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव २३/३/११


ज्ञापांक- सं०- १ / पी०सी०आर०(विविध)०९-३२ / २०१०- ७०६ दिनांक- २३-३-११

प्रतिलिपि- निदेशक, राष्ट्रीय अनु० जाति/जनजाति आयोग, श्रीकृष्णापुरी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव २३/३/११

ज्ञापांक- सं०- १ / पी०सी०आर०(विविध)०९-३२ / २०१०- ७०६ दिनांक- २३-३-११

प्रतिलिपि- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सभी सदस्यगण, राज्य अनु० जाति/जनजाति आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव २३/३/११